[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 23/2019 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. ....(अ)– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.25/2005–सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.123(अ), तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"9.	8518 30 00	लाइन टेलीफोन हैंडसेट के पुर्जे" ।

[फा.सं. - 334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.25/2005–सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.123(अ), तारीख 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना सं.39/2018-सीमाशुल्क, तारीख 02 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. सं.327(अ), तारीख 02 अप्रैल, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।